न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 10/2005

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक रेवदर जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. मैसर्स श्री सोनाराम मन्जीराम अधिकृत उचित मूल्य विक्रेता ग्राम बांट तहसील रेवदर जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 05.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2000 की रात्रि को प्रार्थी को विश्वास सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थी दिनांक 17.10.2000 को मौके पर जांच करने पहुंचे जिस पर उचित मूल्य दुकान के निर्धारित स्थल से अन्यत्र स्थल पर 12 ड्रम केरोसीन तेल रखने एवं रजिस्टर में निर्धारित 14 ड्रम प्रतिमाह की मात्रा से दो ड्रम तेल कम पाया जाने से 12 ड्रम केरोसीन को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से केरोसीन को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है । उक्त प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2001 को निर्णित हो चुका था जिसकी अपील न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही में की गई। न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही द्वारा उक्त निर्णय अपास्त किए जाने से पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 16.10.2000 की रा[illegible]र्थी को विश्वास सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थी [illegible] पर ग्राम बांट में सरपंच, पूर्व सरपंच व अन्य उपस्थित मौतबिरान के सम्मुख [illegible]कताछ पर जांच करने हेतु पहुंचे। जिस पर उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित स्टॉक रजिस्टर के अनुसार [illegible] 16.10.2000 को 3080 लीटर केरोसीन की [illegible] दर्ज हुई तथा मौका [illegible] डीलर श्री सोनाराम के कथनानुसार दिनांक 16.10.2000 से वक्त चैंकिंग तक तेल की कोई बिक्री नहीं की है। इस प्रकार अवैध रूप से अन्यत्र स्थल पर 12 ड्रम केरोसीन

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तेल रखने तथा अवैध स्थल पर दो ड्रम तेल कम मिलने एवं डीलर द्वारा जानबूझकर वितरण रजिस्टर पेश न करने तथा उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर दो ड्रम 440 लीटर केरोसीन तेल की दिनांक 16.10.2000 की रात को कालाबाजारी की पुष्टि की गई। यह है कि डीलर द्वारा स्वयं उपस्थित होकर भी दुकान बन्द रखने व प्राधिकार पत्र एवं वितरण का रिकार्ड जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराने का दोषी पाया गया है। इस प्रकार डीलर श्री सोनाराम ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 व 20 तथा उसे जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 9, 10 का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार दो ड्रम केरोसीन तेल की कालाबाजारी करने एवं 12 ड्रम केरोसीन को निर्धारित स्थल से अन्यत्र स्थल पर रखने से 12 ड्रम केरोसीन तेल को कब्जे सरकार लिया गया। अतः केरोसीन ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा ने दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ने उक्त 14 ड्रम केरोसीन तेल को रास्ता अत्यन्त संकडा होने के कारण टैंकर गोदाम तक नहीं आने से गांव के चौराहे पर भरवाए। इसमें से अप्रार्थी अपने ट्रेक्टर के पीछे बनी लिफ्ट से एक–एक करके दो ड्रम केरोसीन तेल ले जाने के पश्चात ट्रेक्टर पंचर हो जाने से 12 ड्रम वहीं पडे रह गए जिन्हें गोदाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। अतः कब्जे सरकार लिया गया केरोसीन तेल अप्रार्थी के मालिकी का होने से अप्रार्थी को पुनः दिलवाए जाने के आदेश प्रदान करावें। इसके सम्बन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत एस.बी.क्रिमिनल रिविजन पिटिशन नम्बर 86/2012 मैसर्स M/s. Dhedhia Traders Vs State of Rajasthan निर्णय दिनांक 30.01.1995 पेश की।

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 16.10.2000 की रात्रि को प्रार्थी को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थी दिनांक 17.10.2000 को मौके पर ग्राम बांट में सरपंच, पूर्व सरपंच व अन्य उपस्थित मौतबिरान के सम्मुख व पूछताछ हेतु जांच करने हेतु पहुंचे। जिस पर उचित मूल्य दुकान पर उपस्थित स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 16.10.2000 को 3080 लीटर केरोसीन की आमद दर्ज हुई तथा मौका जांच तथा डीलर श्री सोनाराम के कथनानुसार दिनांक 16.10.2000 से वक्त चैंकिंग तक तेल की कोई बिक्री नहीं की है। इस प्रकार अवैध रूप से अन्यत्र स्थल पर 12 ड्रम केरोसीन तेल रखने तथा अवैध स्थल पर दो ड्रम तेल कम मिलने एवं डीलर द्वारा जानबूझकर वितरण रजिस्टर पेश न करने तथा उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर दो ड्रम 440 लीटर केरोसीन तेल की दिनांक 16.10.2000 की रात को कालाबाजारी की पुष्टि की गई। यह है कि डीलर द्वारा स्वयं उपस्थित होकर भी दुकान बन्द रखने व प्राधिकार पत्र एवं वितरण का रिकार्ड जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार डीलर श्री सोनाराम ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 व 20 तथा उसे जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 9, 10 का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार दो ड्रम केरोसीन तेल

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की कालाबाजारी करने एवं 12 ड्रम केरोसीन को निर्धारित स्थल से अन्यत्र स्थल पर रखने से 12 ड्रम केरोसीन तेल को कब्जे सरकार लिया जाकर यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु पेश किया। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी ने उक्त 14 ड्रम केरोसीन तेल को रास्ता अत्यन्त संकडा होने के कारण टैंकर गोदाम तक नहीं आने से गांव के चौराहे पर भरवाए। इसमें से अप्रार्थी अपने ट्रेक्टर के पीछे बनी लिफ्ट से एक–एक करके दो ड्रम केरोसीन तेल ले जाने के पश्चात ट्रेक्टर पंचर हो जाने से 12 ड्रम वहीं पडे रह गए जिन्हें गोदाम तक नहीं पहुंचाया जा सका।

उक्त प्रकरण की जांच प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा कराई गई जो दिनांक 01.07.2021 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में गांव के चौराहे से उचित मूल्य की दुकान तक जाने हेतु 15–20 फीट चौडा सीमेन्टेड रोड है जिस पर टैंकर आसानी से जा सकता है, परन्तु वक्त निरीक्षण वर्ष 2000 में रास्ता संकडा होने एवं टैंकर उचित मूल्य की दुकान तक नहीं पहुंचने की पुष्टि की है। उपरोक्त जांच से रास्ता संकडा होने एवं टैंकर दुकान तक नहीं पहुंचने की तो पुष्टि होती है परन्तु डीलर द्वारा दुकान बन्द रखकर रेकर्ड निरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराए जाने से एवं प्राप्त केरोसीन का समय पर वितरण नहीं कर दो ड्रम केरोसीन तेल कालाबाजारी करने का स्पष्टीकरण अप्रार्थी अधिवक्ता देने में असफल रहे। उपरोक्त विवेचन एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत एस.बी. क्रिमिनल रिविजन पिटिशन नम्बर 86/2012 मैसर्स M/s. Dhedhia Traders Vs State of Rajasthan निर्णय दिनांक 30.01.1995 का अवलोकन करने से यह न्यायालय उक्त माल को जब्त सरकार किया जाना उचित मानता है। अतः अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदाथ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 व 20 तथा उसे जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 9, 10 का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये 12 ड्रम केरोसीन को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

चूंकि उक्त केरोसीन एवं ड्रमों का अंतरिम निस्तारण न्यायालय के आदेशानुसार जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा करवाया जाकर प्राप्त राशि रूपये 24127/– जरिए चालान संख्या 03 दिनांक 03.01.2001 को राज कोष में बतौर अमानत जमा करवाई गई, जिसे प्रोपर लेखा मद में जमा कराए जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी सिरोही को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को स[illegible] सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:47 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner